सप्तदश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 03 फाल्गुन, 1945 (श०) / 22 फरवरी, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	02
(2)	सहकारिता विभाग	01
(3)	कृषि विभाग	01
	कुल योग --	04

मुक्त कराना

18. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "राज्य में 8.70 लाख एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में सड़क परियोजनाओं, पावर ग्रिड, स्कूल, पंचायत भवन इत्यादि सरकारी परियोजनाओं हेतु जमीन की अनुपलब्धता दर्शाते हुये उक्त परियोजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है, जबकि राज्य में 8.70 लाख एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर राज्य में अवैध रूप से कब्जा किये सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हानि की भरपाई

19. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 2 जनवरी, 2024 तक 25.50 लाख हेक्टेयर रकबा में गेहूँ बुआई का सरकार द्वारा तय लक्ष्य के अनुपात में साधन के अभाव में 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के कम बुआई हुई है, यदि हाँ, तो सरकार गेहूँ बुआई का लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण कृषकों को हुई हानि की भरपाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि रबी 2023-24 में आच्छादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है । राज्य में बिहान ऐप के माध्यम से गाँव स्तर से आच्छादन का आँकड़ा प्राप्त किया जा रहा है ।

दिनांक 3 जनवरी, 2024 तक बिहान ऐप पर गेहूँ के आच्छादन के लक्ष्य 25.509 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 23.005 लाख हेक्टेयर प्रतिवेदित किया गया है जो लक्ष्य का लगभग 90.18 प्रतिशत है ; परन्तु रबी 2023-24 के अंतिम आच्छादन प्रतिवेदन के अनुसार गेहूँ के आच्छादन का लक्ष्य 25.697 हेक्टेयर के विरुद्ध 25.284 लाख हेक्टेयर प्रतिवेदित है जो लक्ष्य का 98.39 प्रतिशत है । गत वर्ष गेहूँ के आच्छादन का लक्ष्य 25.076 लाख हेक्टेयर रखा गया था तथा आच्छादन की उपलब्धि 25.263 लाख हेक्टेयर (100.75 प्रतिशत) प्राप्त हुई । इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 0.021 लाख हेक्टेयर में अधिक आच्छादन हुआ है । अतः कृषकों को कोई हानि नहीं हुई है ।

आधार नम्बर से जोड़ना

20. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 जनवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "सूबे में जमाबंदी अभी आधार से नहीं जुड़ी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जमीन की सभी जमाबंदी को भू-स्वामी के आधार नम्बर से जोड़ने का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल जमाबंदी की संख्या 4 करोड़ 8 लाख है जिनमें अभीतक 74 लाख 75 हजार 370 जमाबंदी को ही आधार नम्बर से जोड़ा गया है, जबकि 82 फीसदी जमाबंदी अबतक आधार से नहीं जोड़ा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सभी जमाबंदी को भू-स्वामी के आधार नम्बर से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । विभागीय पत्रांक 1013(9), दिनांक 20 अप्रील, 2023 द्वारा सभी समाहर्ता, बिहार को यह निदेशित किया गया कि राज्य के सभी ऑनलाइन जमाबंदी में मोबाईल नम्बर तथा आधार सीडिंग की प्रक्रिया की जाये ।

(2) वर्तमान समय में राज्य में संधारित कुल जमाबंदियों की संख्या 4 करोड़ 8 लाख है, जिसमें से अभीतक 84 लाख 36 हजार 431 जमाबंदियों को आधार नम्बर से पूर्णरूपेण जोड़ दिया गया है ।

(3) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राज्य में संधारित कुल जमाबंदियों को आधार नम्बर से जोड़ने हेतु दृढ़ संकल्पित है । वर्ष 2024 के अंत तक राज्य में संधारित सभी जमाबंदियों को आधार नम्बर से जोड़ने का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

जन औषधि केन्द्र खोलना

21. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 जनवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''पैक्सों को जन औषधि केन्द्र के लिये नहीं मिल रहे फार्मासिस्ट'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पैक्सों में जन औषधि केन्द्र खोलने के लिये विभाग द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्ताव माँगा गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के 8473 पैक्सों में केवल 190 पैक्सों द्वारा ही प्रस्ताव दिया गया और स्क्रूटनी के बाद 103 पैक्स ही निर्धारित योग्यता पूरी कर पाई है शेष अभीतक योग्यता पूरी नहीं कर पाई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शेष बचे पैक्सों में जन औषधि केन्द्र खोलने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 22 फरवरी, 2024 (ई0) ।

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 92(एल0ए0), 2023-24-डी0टी0पी0-550